

रिजर्व पुलिस लाइन में चल रही नागरिक पुलिस भर्ती प्रक्रिया, हो रहा अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण

फर्जी रोल नंबर लेकर आयी महिला बंदी

पुलिस भर्ती

श्रावणी, संवाददाता। रिजर्व पुलिस लागून भिनगा में आशीर्वानार्थक पुलिस भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इसमें अधिकारीयों के साथरिक मानक का परीक्षण व अभिलेख का सत्यापन किया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन में फॉर्मवाडे का खुलासा होने पर एक महिला अधिकारी को पकड़ा गया। उसके बहुत दूर मलाला दर्ज कराया गया और पुलिस ने रिपोर्ट लिया।

श्रावकों पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में फैज़ी दस्यायेको का उपवर्ग करने की कोशिश कर रही एक महिला अधिकारी को पकड़ा है। शनिवार को, कोटवाली नियमानुसार प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह ने निरीक्षक संतोष कुमार वादव व पुलिस टीम के साथ फैज़ीवाड़ा करने वाली महिला अधिकारी जग्जा सिंह को रोडवेज बस नियमानुसार से रिपोर्ट कर रखिया। युक्तिवाचक तरीके से रिपोर्ट करना आवश्यक है।

- अभिलेख सत्यापन में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा
 - महिला अधिकारी का टैब्लेट व प्रपत्रों को कब्जे में लिया



पुलिस भर्ती परीक्षण का निरीक्षण करते एसपी।

अभियोगों की संवेदना और शारीरिक मानक परीक्षण किया जा रहा था। इसमें महिला अभ्यर्थी बच्चा सिंह पुरुष राधेश्वर महान् निवासी फरार सुमित्र, थाना पथागांगु, जनन बहादुर ने कूट राजती प्रवेश की गई। जांच के दौरान महिला अभ्यर्थी की ओर से प्रत्युत्तम किए गए प्रवेश पत्र में दर्ज शेल नंबर फर्जी पाया गया।

प्रवेश पत्र में अंकित अनुक्रमकीय महिला अभ्यर्थी का न होकर किसी दूसरे अभ्यर्थी का था। इस पर प्रभारी पूर्विलिपि परीक्षा थोड़ी श्वावती निरीक्षक इमाम बहादुर सिंह की ओर से महिला अभ्यर्थी को बढ़ावले व ब्रप्रफां

एडिट कर प्रवेश पत्र पर बदला गया था अनुक्रमांक

कर्तव्याता सामने आने के बाद महिला अध्यक्षी ने प्रत्यक्षी की विधिकत जांच की गई। जांच में पाया गया कि महिला अध्यक्षी परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके बायजान उसने रेस्टर रेपेने के बावजूद से अपने प्रश्नों परों पर एवं उत्तरकर कर अपने अनुभवोंका मिटा दिया। इसके बाद दूसरे उत्तीर्ण अध्यक्षों का अनुभवोंका प्रश्न पत्र पर अविकृत कर फर्जी दरवाजापन तैयार किया गया। जांच में कफाज़ाका मामला मिलने के बाद प्रधानी प्रधानी प्रश्नों परों परीक्षा में फेल हो गई थी। अतिवासी नियमोंका शरण बहादुर रिहा की ओर से महिला का टेलरेट व उसके अधिकारों को कर्जे में ले लिया गया। इसके बाद महिला अध्यक्षी के बिल्डर को लाइनर्सी भिन्ना में केस दिया।

66 पुलिस लाइन भिन्ना में आयोजित पुलिस र्हटी की शरीरिक मानक परीक्षण के दौरान ऋग सिंह पुत्री राखेशयम सिंह निवासी फरद सुमेरप्रसाद थाना पायागंगुर जनपद बहराइच की ओर से कूटनियत प्रवेश पत्र प्रदान किया गया। जाँच में पाया गया कि अभ्यर्थी ने कफ़ी लेन नकारा का प्रयोग करते हुए एप्रेस पत्र तैयार किया गया था। उसके बिरुद्ध कोतालों भिन्नाने में मुकद्दमा दर्ज कराया गया था। जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

-प्रवीण कुमार यादव, एससपी

को कब्ज़े में लेकर थाना कोतवाली भिन्ना में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके बाद वाराणसी को कोतवाली भिन्ना पुलिस ने महिला अभ्यास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तारी दीप में कोतवाली भिन्ना के प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह के साथ ही निरीक्षक अपराध संचालक कुमार यादव और लालू आरक्षी अनन्यपूर्ण शामिल रहे।